न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 61/21

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		जाकिर पुत्र मोहम्मद सुल्तान जाति मुसलमान निवासी नया दरवाजा घोसीवाडा, नागौर जिला नागौर। फर्म:–सुफी डेयरी फार्म, चूंटीसरा रोड (दरगाह रोड) मोहम्मदपुरा जिला नागौर।

आदेश

दिनांक :20.06.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 18-10-21 को सुफी डेयरी फार्म, चूंटीसरा रोड (दरगाह रोड) मोहम्मदपुरा जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ दूध में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1617 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/406/एक्ट/2021/238 दिनांक 21.10.2021 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ दूध सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त जाकिर पुत्र मोहम्मद सुल्तान जाति मुसलमान निवासी नया दरवाजा घोसीवाडा, नागौर जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 22-12-21 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 13.06.22 को श्री विक्रम जोशी अधिवक्ता ने वकालातनामा पेश किया। अप्रार्थी ने दिनांक 20.06.2022 को जवाब पेश किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब मे बताया कि हस्तगत प्रकरण में जो नमूना लिया गया हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट किये जाने और उसके स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक होने की कोई रिपोर्ट नही है। दूध के नमूने में नमूना लेने का तरीका, दूध का नमूना लेने से पहले उसे क्लॉक वाईज एंटी क्लॉक वाईज घुमाना मिलाना और पूर्ण रूप से एकरूप कर नमूना लिया जाना जरूरी होता हैं, इसके साथ ही जिस पशु के दूध का नमूना लिया जाता हैं, उसके दूध निकाले जाने से पूर्व उसकी खुराक पर भी दूध की क्वालिटी निर्भर करती है। अप्रार्थी पशुपालन के द्वारा अपनी आजीविका चला रहा है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अप्रार्थी गरीब तबके का व्यक्ति हैं, जो लम्बी न्यायिक प्रक्रिया में मशगूल होकर मामले को लम्बा नहीं चलाना चाहता और लोक अदालत की भावना से अपने मामले का निस्तारण करवाना चाहता है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/406/एक्ट/2021/238 दिनांक 21.10.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ दूध का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी जाकिर पुत्र मोहम्मद सुल्तान जाति मुसलमान निवासी नया दरवाजा घोसीवाडा, नागौर जिला नागौर पर रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)